उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Ref. No. UOU/R/का.परि./43/2025
Date: 04 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
4. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, सीईओ, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुऑं, नैनीताल।
5. प्रोफेसर शची शाह, निदेशक, COE, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
6. श्री सत्य प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (नामित प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, उपाचार्य, जन्तु विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **43वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-</u>

1.	प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	**प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत,** **(पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल),** **I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।**	**सदस्य**
3.	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी।	सदस्य
4.	प्रोफेसर शची शाह, निदेशक, COE इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।**	सदस्य
5.	श्री सत्य प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून **(प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)** (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6.	प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जि... नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, सदस्य
सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. डॉ0 नीरजा सिंह, सदस्य
सहायक आचार्य, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. श्री खेमराज भट्ट, सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. श्री सूर्य प्रताप सिंह, आमंत्रित सदस्य
मुख्य वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर सोमेश कुमार, आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

माह नवम्बर, 2024 में विश्वविद्यालय कार्य परिषद का पुर्नगठन होने के उपरान्त परिषद की यह प्रथम बैठक आयोजित की गयी। सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा समस्त उपस्थित सदस्यों/ आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की **43**वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तद्क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, प्रोफेसर शची शाह (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित श्री सत्य प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून) का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 43वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 43.01- कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/42/2024, दिनांक **21**.11.2024 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 42वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 43.02- कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 43.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा D.O. No. F.4-6/2020(NSQF), दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने के संबध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप दिनांक 24 मार्च, 2025 को **"Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025"** के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है **(संलग्नक-02)**। इसका उद्देश्य शिक्षा को व्यावहारिक बनाने, छात्रों की रोज़गार योग्यता बढ़ाने, और अकादमिक तथा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करना है।

<u>प्रमुख उद्देश्य</u>

- स्नातक छात्रों की रोज़गार क्षमता में वृद्धि करना।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल

- परिणाम आधारित अधिगम को बढ़ावा देना।
- कौशल अंतर को पाटने के लिए उद्योग के साथ सहयोग कर AEDP लागू करना।

पात्रता

- वे उच्च शिक्षण संस्थान जो:
  - NIRF रैंकिंग में शामिल हैं, या
  - NAAC मूल्यांकन या स्कोर प्राप्त कर चुके हैं, या
  - यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं।

कार्यक्रम की संरचना

- सभी स्नातक (UG) कार्यक्रमों में लागू।
- एप्रेंटिसशिप अवधि:
  - 3 वर्षीय पाठ्यक्रम: 1 से3 सेमेस्टर
  - 4 वर्षीय पाठ्यक्रम: 2 से 4 सेमेस्टर
- पहले सेमेस्टर में एप्रेंटिसशिप नहीं होगी।
- अंतिम सेमेस्टर पूर्णरूप से एप्रेंटिसशिप हेतु समर्पित होगा।

कार्यान्वयन रूपरेखा

- HEI, उद्योग और छात्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता आवश्यक।
- प्रशिक्षार्थियों को कार्यक्षेत्र पर वास्तविक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम उद्योग साझेदारी में तैयार किया जाएगा और NSQF/NHEQF से संरेखित होगा।

क्रेडिट और मूल्यांकन

- अवधि आधारित क्रेडिट प्रणाली (जैसे 3 माह = 10 क्रेडिट)
- मूल्यांकन के तीन प्रमुख भाग:
  1. उद्योग द्वारा मूल्यांकन (30–40%)
  2. संस्थान के फैकल्टी मेंटर द्वारा (30–40%)
  3. प्रस्तुतीकरण/वाइवा (20–40%)

वृत्ति (Stipend)

- यदि NATS पोर्टल के माध्यम से किया गया तो सरकार द्वारा भुगतान।
- प्रत्यक्ष उद्योग साझेदारी में उद्योग द्वारा भुगतान, एप्रेंटिस अधिनियम के अनुसार।

भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

- HEI: पाठ्यक्रम निर्माण, समझौते, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रमाणन।
- उद्योग: प्रशिक्षण, वृत्ति, सह-मूल्यांकन, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान।
- BOAT/BOPT: सहयोग और अनुपालन सुनिश्चित करना।
- छात्र/शिक्षार्थी: प्रशिक्षण पूर्ण करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अनुशासन बनाए रखना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल

प्रशासनिक दिशा-निर्देश

- HEIs को AEDP अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ही संचालित करनाहोगा।
- फ्रेंचाइज़ी मॉडल प्रतिबंधित है।
- दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर HEI के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि:
    - यूजीसी योजनाओं से वंचित करना,
    - डिग्री कार्यक्रम संचालित करने से रोकना,
    - ODL/ऑनलाइन कार्यक्रमों से रोकना, आदि।

एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) छात्रों को अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ औद्योगिक अनुभव प्रदान करता है। यह पहल विद्यार्थियों को रोजगार हेतु तैयार करती है, और शिक्षा-से- रोज़गार संक्रमण को आसान बनाती है।

अत: उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा D.O. No. F.4-6/2020(NSQF), दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP), 2025" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को यथावत अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए सूचना शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।***

प्रस्ताव संख्या 43.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा F.No.2-3/2022 (QIP), दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education" के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना को अंगीकृत किये जाने के संबध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा पूर्व शिक्षण की मान्यता हेतु "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning in Higher Education" के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (NCrF)के अनुरूप हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य औपचारिक, अनौपचारिक और गैर-औपचारिक तरीकों से अर्जित ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करना है।

उद्देश्य और प्रयोजन

RPL का लक्ष्य है:

- अनुभव आधारित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना।
- निरंतर और आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)